

कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र,
नीमच का मैनुअल

अध्याय 1

प्रस्तावना

यह पुस्तिका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हेतु जन सामान्य को जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है । ताकि आम जन को विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकें, तथा उन्हें कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े ।

यह पुस्तिका उद्यमी, भावी उद्यमी, स्वरोजगार योजनाओं के हितग्राहीयो हेतु लाभप्रद सिद्ध होगी ।

इस पुस्तिका के अतिरिक्त विभाग से संबंधित जानकारी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, नीमच के कार्यालय में प्रातः 10.30 से 5.30 के मध्य प्रबंधक सूचना अथवा सहा.प्रबंधक से प्राप्त की जा सकती है । सूचना के अधिकार से संबंधित जानकारी हेतु विस्तृत जानकारी इस पुस्तिका के अध्याय 2 के बिन्दु 14 में दी गई ।

अध्याय 2 (मैनुअल-1)

संगठन की विशिष्टियां कृत्य एवं

कर्तव्य

2.1 लोक प्राधिकरण के उद्देश्य

1. मध्य प्रदेश के समग्र आर्थिक विकास में औद्योगीकरण एवं व्यापार संवर्धन के माध्यम से योगदान देना ।
2. वृहद् एवं मध्यम, लघु उद्योग एवं सहायक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना ।
3. प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ।
4. विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा स्वरोजगार के अवसरों का सृजन ।

2.2 लोक प्राधिकरण का मिशन / विजन

प्रदेश को औद्योगीकरण के माध्यम से विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना ।

2.3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग

शासन ने निर्णय लिया है कि नई औद्योगिक नीति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पुराना प्रचलित प्रशासकीय ढांचा पर्याप्त नहीं है तथा औद्योगिक नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिला उद्योग केन्द्र के अंतर्गत एक नये प्रशासकीय ढांचे का गठन इस प्रकार से किया है कि जिला स्तर पर ही एक

लघु उद्यमी की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकें तथा नये ढांचे के गठन से औद्योगीकरण के कार्य में लगी हुई सभी संस्थाओं द्वारा एकीकृत रूप से कार्य निष्पादित किया जाए । मध्य प्रदेश के लिये भारत शासन द्वारा वर्ष 1978 में स्वीकृत प्रशासकीय ढांचा निम्नानुसार है :-

1. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र
2. प्रबंधक सूचना
3. प्रबंधक स्वरोजगार
4. प्रबंधक विभागीय सुविधा

उपरोक्त के अतिरिक्त जिले में प्रत्येक तहसील के लिए एक प्रबंधक विस्तार भी रहेगा ।

जिला उद्योग केन्द्र का गठन इस प्रकार से किया गया है कि कार्यप्रणाली पूर्णतः आफीसर ओरिएण्टेड अधिकारी दिशा निर्देशित है जिसका तात्पर्य यह है कि उद्यमी का सभी कार्य अधिकारी स्वयं करेंगे तथा उद्यमी को अधिकारी स्तर से नीचे किसी शासकीय व्यक्ति के पास जाना नहीं पड़ेगा । अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि उसके पास आए हुए उद्यमी की प्रत्येक समस्या का निराकरण वह ही अथवा अपने वरिष्ठ अधिकारी की सहायता के माध्यम से करेगा । वहां नये ढांचे में एक जिले के लिये एक उप उद्योग संचालक स्तर का अधिकारी, 6 सहायक उद्योग के स्तर के अधिकारी कार्यात्मक प्रबंधक के रूप में तथा प्रत्येक तहसील के लिए एक अतिरिक्त सहायक उद्योग संचालक स्तर का अधिकारी उपलब्ध रहेगा । इस प्रकार से जिला स्तर पर शासकीय ढांचे का स्तर व स्वरूप ऊंचा और व्यापक करने का उद्देश्य ही यही है कि उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण एक जिम्मेदार व्यक्ति से निराकरण किया जावे । अतः यह परम आवश्यक है कि केन्द्र का प्रत्येक अधिकारी इस भावना को सर्वोपरि रखकर कार्य निष्पादन हो ।

2.4, एवं 2.5 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य एवं मुख्य कृत्य

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अपने वर्तमान स्वरूप में शासन द्वारा घोषित की गई उद्योग नीति के अन्तर्गत स्थापित किये गये हैं । प्रत्येक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की सहायता, सुविधाएँ, अनुदान उपलब्ध करायी जाती है । जिन प्रमुख गतिविधियों का संचालन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा किया जाता है, निम्नानुसार है :-

- 1- जिले में संभावित उद्योगों की जानकारी रखना तथा इच्छुक उद्यमियों को यह जानकारी उपलब्ध करवाना एवं उद्योग स्थापनार्थ प्रेरित करना ।

2. शिक्षित बेरोजगारों हेतु चलाई जा रही प्रधानमंत्री रोजगार योजना, दीनदयाल रोजगार योजना, रानि दुर्गावती स्वरोजगार योजना (अजा, एवं अजजा वर्ग हेतु) हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना ।
3. अल्प संख्यक वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, आदिवासी वित्त विकास निगम की योजनाओं का क्रियान्वयन ।
4. विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत उद्यमि विकास प्रशिक्षण के क्रियान्वयन हेतु व्यवस्था एवं सहयोग करना ।
5. उद्योग स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमियों के अस्थाई पंजीयन करना तथा उद्योग स्थापित हो जाने के उपरान्त स्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना ।
- 6- जिला उद्योग केन्द्र के क्षेत्राधिकार में आने वाले औद्योगिक क्षेत्र/संस्थानों में उद्यमियों को भूमि तथा शेड आवंटित करना, किराया / भाडा पर देना, क्रय भाडा आधार पर उपलब्ध कराना ।
- 7- उद्योगों को विभिन्न छूटें / अनुदान जैसे –आयएसओं 9000 समतुल्य प्रमाण पत्र, प्रतिपूर्ति अनुदान, परियोजना व्यय प्रतिपूर्ति, ब्याज अनुदान, राज्य लागत पूंजी अनुदान, वाणिज्यिक कर निवेश संवर्धन सहायता, पेटेंट प्राप्त करने में हुआ व्यय अनुदान इत्यादि उपलब्ध करवाना, प्रकरण तैयार करके जिला स्तरीय समिति के सम्मुख स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना ।
8. लघु उद्योग निगम के माध्यम से लघु उद्योगों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराना ।
- 9- दुर्लभ तथा नियंत्रित कच्चेमाल की प्राप्ति हेतु लघु क्षेत्र के उद्यमियों को पात्रता प्रमाण पत्र देना तथा उनके प्रकरण संबंधित संस्थाओं को प्रेषित करना ।
- 10- इकाईयों को आवश्यकतानुसार सरलीकृत प्रणाली अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण मंडल के निर्देशानुसार गैर प्रदूषण कारी इकाईयों को अभिप्राप्ति जारी करना ।


276 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण ।

1. राज्य लागत पूंजी अनुदान :- जिले में पात्र उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत की दर से अधिकतम 15.00 लाख रुपये राज्य लागत पूंजी अनुदान प्रदाय किया जाता है ।
2. ब्याज अनुदान :- पात्र औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय संस्थाओं/ बैंको द्वारा प्रदत्त मियादित ऋण जो कि स्थायी पूंजी निवेश पर दिया गया हो 5 प्रतिशत प्रति वर्ष दर पर अधिकतम रुपये 20.00 लाख 7 वर्ष तक प्रदान किया जाता है । अजा/अजजा वर्ग हेतु दर 6 प्रतिशत बिना किसी सीमा के प्रदान किया जाता है ।

3. आई.एस.ओ 9000 :- अ. – यह योजना लघु उद्योग, वृहद एवं मध्यम उद्योगों के लिये लागू है । इसमें किसी भी औद्योगिक इकाईयों द्वारा आई. एस.ओ. 9000 अथवा इसके समतुल्य किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय पर 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 75000/- की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है ।
4. परियोजना व्यय प्रतिपूर्ति :- यह योजना लघु एवं वृहद माध्यम उद्योगों के लिये लागू है । योजना उद्योगों के परियोजना प्रतिवेदन लागू करने हेतु किये गये व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति लघु उद्योगों के लिये 1 प्रतिशत वृहद एवं मध्यम उद्योगों के लिये 0.5 प्रतिशत की दर से दी जाती है ।
5. उद्योगों में शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पेटेंट प्राप्त करने पर हुये व्यय की प्रतिशत प्रतिपूर्ति योजना :- उद्योगों में शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पेटेंट प्राप्त करने पर हुये व्यय की प्रतिशत प्रतिपूर्ति अधिकतम 2.00 लाख तक की सीमा की जायेगी ।
6. मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2004 :- मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2004 पात्र लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के औद्योगिक परियोजनाओं हेतु लागू होगी, जिनमें वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक को स्थाई पूंजी निवेश रूपये 1.00 करोड़ या उससे अधिक होगा ।
7. गुणवत्ता प्रमाणीकरण में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति :- खाद्य प्रसंस्कृत उद्योगों के लिए आवश्यक राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणीकरण जैसे एफ.पी.ओ., एगमार्क, बी.आई.एस. यूरो मानक इत्यादि प्राप्त करने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम राशि रू. एक लाख सीमा तक की जाएगी ।
8. औद्योगिक क्षेत्रों में रियायती दरों पर भूमि का आवंटन ।
9. विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन :-
1. प्रधानमंत्री रोजगार योजना :- जिले के निवासी 8 वी उत्तीर्ण 18 से 35 वर्ष के आयु के शिक्षित बेरोजगार जिनकी परिवार की आय 40 हजार से अधिक नहीं हो को व्यवसाय हेतु अधिकतम 1.00 लाख एवं सेवा / उद्योग हेतु अधिकतम 2.00 लाख का ऋण राष्ट्रीय कृत्य बैंको के माध्यम से स्वरोजगार स्थापना हेतु प्रदान कराया जाता है । महिला, अजा, अजजा वर्ग हेतु आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है ।
2. रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना :- जिले के अजा/अजजा वर्ग के 18 से 40 वर्ष आयु के 8 वी उत्तीर्ण हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु मार्जिन मनी राशि अनुदान के रूप में दी जाती है ।

3. दीनदयाल रोजगार योजना :- जिले के निवासी 10 वी उत्तीर्ण 18 से 40 वर्ष के आयु के शिक्षित बेरोजगार जिनकी परिवार की आय 1.50 लाख से अधिक नहीं हो को व्यवसाय/सेवा / उद्योग हेतु ऋण बैंको के माध्यम से स्वरोजगार स्थापना हेतु प्रदान कराया जाता है एवं इस हेतु नियमानुसार मार्जिन मनी अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है ।
4. मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, द्वारा संचालित स्वरोजगार, नाबार्ड योजना ।
5. म.प्र. पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं में संबंधित वर्गों को पात्रता अनुसार स्वरोजगार स्थापना हेतु ऋण प्रदान किया जाता है ।
10. आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को शासकीय क्रय में प्राथमिकता:- अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों/व्यवसायियों को प्रोत्साहित कर उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम में संशोधन किये गये है जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के उद्यमियों/विक्रेताओं/संस्थानों / उत्पादकों को शासकीय क्रय में प्राथमिकता सुनिश्चित की जा सके ।
11. लघु उद्योग इकाई के प्रस्तावित पंजीयन एवं स्थाई पंजीयन एवं वहद एवं मध्यम उद्योग इकाईयों के उत्पादन प्रमाण पत्र ।

277 लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा (जहाँ लागू हो)



278 लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं
निरंक

279 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विधि/ व्यवस्था

निरंक

2ण10 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निरोकरण की व्यवस्था

कार्यालय में जनसमस्या प्रकोष्ठ का गठन किया गया है । शिकायत प्राप्त होने पर पंजीवृद्ध किया जाकर शिकायत का निराकरण कर आवेदक को सूचित किया जाता है ।

2ण11 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते (कृपया पतों का जनपदवार वर्गीकरण करें)

शासन स्तर :- प्रमुख सचिव वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।

निदेशालय :- उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय विध्याचल भवन
भोपाल ।

जिला स्तर :- महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, नई आबादी
मंदसौर ।

ब्लाक :- कोई कार्यालय नहीं ।

2ण12 कार्यालय के खुलने का समय : 10.30 बजे

कार्यालय के बन्द होने का समय : 5.30 बजे

अध्याय 3 (मैनुअल-2)

अधिकारियों और कर्मचारियों की

शक्तियां एवं कर्तव्य

3ण1 कृपया निम्न प्रारूप पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य का विवरण उपलब्ध कराएं ।

पद का नाम	महाप्रबंधक	
शक्तियाँ	प्रशासकीय	सम्पूर्ण कार्यालय के प्रमुख एवं नियंत्रण अधिकारी
	वित्तीय	शासन के नियमानुसार समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
	अन्य	शासन द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य।
कर्तव्य	जिला उद्योग केन्द्र के लिये निर्धारित कार्यक्रम क्रियान्वयन का संपूर्ण उत्तरदायित्व महाप्रबंधक का होगा । उद्देश्यों तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्रभावशाली पूर्ति केन्द्र के प्रबंधकों ,सहायक प्रबंधकों ,सहायकों के माध्यम से समयावधि के अन्दर करवाना ।	

पद का नाम	प्रबंधक	
शक्तियाँ	प्रशासकीय	प्रस्तावित पंजीयन जारी करना एवं महाप्रबंधक के निर्देश एवं नियंत्रण में कार्य करना ।
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	महाप्रबंधक द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य।
कर्तव्य	उद्देश्यों तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्रभावशाली पूर्ति केन्द्र के महाप्रबंधक के निर्देशन में समयावधि के अन्दर करवाना । एवं शिक्षित बेरोजगारों एवं भावी उद्यमी को मार्गदर्शन प्रदान करना । एवं उद्यमियों को सुविधाएं उपलब्ध कराना ।	

पद का नाम	सहायक प्रबंधक
-----------	---------------

शक्तियों	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्तव्य	उद्देश्यों तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति अवशाली पूर्ति समयावधि के अन्दर करवाना । एवं वसूली में सहयोग करना । एवं शिक्षित बेरोजगारों एवं भावी उद्यमी को मार्गदर्शन प्रदान करना । शिक्षित बेरोजगारों एवं उद्यमियों को सुविधा उपलब्ध कराना ।	

पद का नाम	सहायक	
शक्तियों	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्तव्य	प्राप्त डाक को समयावधि में नियमों के परिपेक्ष में निराकरण हेतु प्रबंधक को प्रस्तुत करना । एवं समस्त जानकारी समय सीमा में प्रस्तुत करना ।	

अध्याय 4 (मैनुअल-3)

कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

- 4ण1 लोक प्रधिकारण अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत कराएं (यह सूचना प्रत्येक अभिलेख के लिये पृथक से प्रस्तुत करें) ।

कार्यालय द्वारा म.प्र.शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, नैपाल तथा उद्योग संचालनालय, नैपाल के द्वारा समय-समय पर प्रसारित नियम, उपनियम, विधियों एवं दिशा निर्देशों के अधीन कार्य सम्पादित किया जाता है ।

विभाग के नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका विभाग की वेबसाईट www.mpindustry.org पर उपलब्ध है । विस्तृत जानकारी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, नई आबादी मंदसौर से प्राप्त कर सकते हैं ।

अध्याय 5 (मैनुअल-4)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

कार्यालय शासन एवं उद्योग संचालनालय द्वारा प्रसारित नीति नियम एवं निर्देशानुसार कार्यवाही संचालित की जाती है संस्था की नीति एवं व्यवस्था एवं विधान निर्माण में आमजन एवं जनप्रतिनिधियों की कोई सीधी भूमिका नहीं है ।

अध्याय 6 (मैनुअल-5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गीकरण के अनुसार

विवरण

6.1

क्र.सं.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1	प्रधानमंत्री रोजगार योजना	संधारित आवेदन प्राप्ति संबंधी पंजी, टी.एफ.सी. में प्रस्तुत आवेदनों की सूची बैंको को प्रेषित प्रकरण की सूची	ए-4 साईज पेपर की प्रति एक और दो रूपया ए-3 साईज पेपर की प्रति एक और चार रूपया अभिलेखन अवलोकन हेतु रु. दस प्रत्येक 15 मिनट तत्पश्चात् प्रति 5 मिनट तक 5 रूपये	धारक कक्ष सहायक नियंत्रणाधीन महाप्रबंधक
2	भूमि शेड आवंटन	संधारित आवेदन प्राप्ति संबंधी पंजी एवं निराकरण की जानकारी	ए-4 साईज पेपर की प्रति एक और दो रूपया ए-3 साईज पेपर की प्रति एक और चार रूपया अभिलेखन अवलोकन हेतु रु. दस प्रत्येक 15 मिनट तत्पश्चात् प्रति 5 मिनट तक 5 रूपये	धारक कक्ष सहायक नियंत्रणाधीन महाप्रबंधक

अध्याय 7 (मैनुअल-6)
बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य
निकायो का विवरण

इस कार्यालय से कोई भी बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकाय नहीं है ।

अध्याय 8 (मैनुअल-7)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम,

पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

लोक प्राधिकरण का नाम : जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, नीमच
सहायक लोक सूचना अधिकारी : श्री ओ.पी. अग्रवाल

कं.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई. मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री आर. एस. जयंत	सहायक प्रबंधक	07423	257439	227555	—	—	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, नीमच

लोक सूचना अधिकारी : श्री ओ.पी. अग्रवाल

कं.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री ओ.पी. अग्रवाल	प्रबंधक	07423	257439	223272	—	—	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, नीमच

विभागीय अपीलैट अथोरिटी : श्री बाबा सालवे

कं.	नाम	पदनाम	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल	पता
				कार्या.	आवास			
1	श्री बाबा सालवे	महा प्रबंधक	07423	257439	225027		gmtdien @sancharnet.in	जिला व्यापार एवं उद्य ोग केन्द्र, नीमच

अध्याय 9 (मैनुअल-8)

निर्णय लेने की प्रक्रिया

- 9ण1 किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये लोक प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है। (सचिवालय मैनुअल और बिजीनेस मैनुअल के नियमों, आदि नियमों का उपयोग किया जा सकता है)

आवेदन प्राप्त होने पर महाप्रबंधक/प्रबंधक द्वारा चिन्हित कर संबंधित कक्ष को आवक कक्ष के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। एवं कक्ष सहायक द्वारा आवेदन शासन द्वारा निर्धारित नियमों /निर्देशों के परिपेक्ष में कक्ष अधिकारी के माध्यम से महाप्रबंधक को प्रस्तुत किया जाता है ।

- 9ण2 किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिये निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या है अथवा निर्णय लेने के लिये किस-किस स्तरों पर विचार किया जाता है ।

कक्ष सहायक द्वारा निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार कक्ष अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है एवं कक्ष अधिकारी अपनी टीम के साथ अंतिम निर्णय हेतु महाप्रबंधक को प्रस्तुत किया जाता है, महाप्रबंधक कार्यालय प्रमुख एवं नियंत्रण अधिकारी रहता है।

- 9ण3 लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिये क्या व्यवस्था है।

संबंधित को निर्णय की सूचना पत्र द्वारा डाक से प्रेषित की जाती है एवं सर्वसाधारण के हित की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जाती है ।

- 9ण4 विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जाती है ।

कक्ष सहायक, सहायक प्रबंधक (यदि आवश्यक हुआ तो), प्रबंधक, महाप्रबंधक

9५5 अंतिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकारित अधिकारी।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मंदसौर

9५6 मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है उसका विवरण निम्न प्रारूप में अलग से प्रस्तुत करें।

कं.स.	1
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	भूमि आवंटन एवं हस्तांतरण
दिशा-निर्देश (यदि हो तो)	म.प्र. उद्योग (शेड, प्लाट एवं भूमि आवंटन) नियम, 1974
निर्णय लेने की प्रक्रिया	निर्धारित प्रारूप में प्राप्त आवेदन कक्ष सहायक द्वारा कक्ष अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है कक्ष अधिकारी द्वारा महाप्रबंधक को प्रस्तुत ।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	महाप्रबंधक
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, नीमच
निर्णय के विरुद्ध कहाँ और कैसे अपील करें	उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय विध्यांचल भवन भोपाल
कं.स.	2
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	म.प्र. अनुदान उद्योग निवेश अनुदान
दिशा-निर्देश (यदि हो तो)	म.प्र. अनुदान उद्योग निवेश अनुदान योजना 2004 अनुसार
निर्णय लेने की प्रक्रिया	निर्धारित प्रारूप में प्राप्त आवेदन कक्ष सहायक द्वारा कक्ष अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है कक्ष अधिकारी द्वारा महाप्रबंधक को प्रस्तुत किया जाता है तत्पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कर प्रकरण म.प्र.को प्रस्तुत किया जाता है। जिसे जिला स्तरीय समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति

निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, नीमच
निर्णय के विरुद्ध कहाँ और कैसे अपील करें	उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय विध्यांचल भवन भोपाल
क्र.स.	3
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	ब्याज अनुदान ,परियोजना प्रतिपूर्ति अनुदान, आय.एस.ओ.9000 प्रतिपूर्ति अनुदान,
दिशा-निर्देश (यदि हो तो)	म.प्र. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा प्रसारित निती –नियम अनुसार
निर्णय लेने की प्रक्रिया	निर्धारित प्रारूप में प्राप्त आवेदन कक्ष सहायक द्वारा कक्ष अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है कक्ष अधिकारी द्वारा महाप्रबंधक को प्रस्तुत ।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	महाप्रबंधक
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, नीमच
निर्णय के विरुद्ध कहाँ और कैसे अपील करें	उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय विध्यांचल भवन भोपाल
क्र.स.	4
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	स्वरोजगार योजनाएं
दिशा-निर्देश (यदि हो तो)	म.प्र. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा प्रसारित निती –नियम अनुसार
निर्णय लेने की प्रक्रिया	निर्धारित प्रारूप में प्राप्त आवेदन कक्ष सहायक द्वारा कक्ष अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है कक्ष अधिकारी द्वारा महाप्रबंधक को प्रस्तुत ।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	महाप्रबंधक की अध्यक्षता में टास्कफोर्स कमेटी
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, नीमच
निर्णय के विरुद्ध कहाँ और कैसे अपील करें	—
क्र.स.	5
विषय (जिसके संबंध में निर्णय	पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आदिवासी

लिया जाना है)	हितग्राहियों हेतु ऋण योजनाएं
दिशा-निर्देश (यदि हो तो)	म.प्र. पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम एवं म.प्र. आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा प्रसारित निती-नियम अनुसार
निर्णय लेने की प्रक्रिया	निगम मुख्यालय से लक्ष्य प्राप्त होने पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र समाचार पत्रों में विज्ञापित जारी कर प्राप्त किये जाते है । प्राप्त आवेदन कक्ष सहायक द्वारा कक्ष अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है कक्ष अधिकारी द्वारा महाप्रबंधक को प्रस्तुत । तथा कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित रोजगार निर्माण बोर्ड की समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जाते है ।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित रोजगार निर्माण बोर्ड की समिति
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, नीमच
निर्णय के विरुद्ध कहाँ और कैसे अपील करें	कलेक्टर महोदय को

अध्याय 10 (मैनुअल-9)

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

क्रं.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई. मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री बाबा सालवे	महाप्रबंधक	07423	257439	225027	—		जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, नीमच
2	श्री ओ.पी. अग्रवाल	प्रबंधक	07423	257439	223272	—	—	तदैव
3	श्री एस.डी. वाडेकर	सहा. प्रबंधक	07423	257439	231312	—	—	तदैव
4	श्री आर.एस. जयंत	सहा. प्रबंधक	07423	257439	227555	—	—	तदैव
5	श्री एच.सी. वर्मा	सहा. प्रबंधक	07423	257439	—	—	—	तदैव
6	श्री एफ.सी. चौधरी	सहा.ग्रेड-3	07423	257439	—	—	—	तदैव
7	श्री जगदीषसिंह राणा	भृत्य	07423	257439	—	—	—	तदैव
8	श्री मनीष पत्की	भृत्य	07423	257439	—	—	—	तदैव

अध्याय 11 (मैनुअल-10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

क्र. सं.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	परितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गयी हो
1	श्री बाबा सालवे	महाप्रबंधक	15635	निरंक	म.प्र.शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार
2	श्री ओ.पी. अग्रवाल	प्रबंधक	18289	निरंक	---,,---
3	श्री एस.डी. वाडेकर	सहा. प्रबंधक	11547	निरंक	---,,---
4	श्री आर.एस. जयंत	सहा. प्रबंधक	10753	निरंक	---,,---
5	श्री एच.सी. वर्मा	सहा. प्रबंधक	9878	निरंक	---,,---
6	श्री एफ.सी. चौधरी	सहा. ग्रेड-3	3960	निरंक	---,,---
7	श्री जगदीशसिंह राणा	भृत्य	4837	निरंक	---,,---
8	श्री मनीष पत्की	भृत्य	3867	निरंक	---,,---

अध्याय 12 (मैनुअल-11)

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित

बजट

अन्य लोक प्राधिकरणों के लिये

क्रं.	मद	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्व ारा प्रदत्त (किशतों में)	कुल व्यय
1	रानीदुर्गावती स्वरोजगार योजना (अजा वर्ग)	143000	600000	600000	598473
2	रानीदुर्गावती स्वरोजगार योजना (अजजा वर्ग)	89000	200000	200000	196874
3	दीनदयाल रोजगार योजना	—	372600	372600	144500

अध्याय 13 (मैनुअल-12)

अनुदान, राज सहायता कार्यक्रमों

के क्रियान्वयन की रीति

13.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराएं ।

1. कार्यक्रम / योजना का नाम

- अ. रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति / जनजाति स्वरोजगार योजना
ब. दीनदयाल रोजगार योजना

2. कार्यक्रम / योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा

1. रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति / जनजाति स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 2003 से प्रारंभ आगामी आदेश तक
2. दीनदयाल रोजगार योजना – 1 अगस्त 2004 से आगामी आदेश तक

3. कार्यक्रम का उद्देश्य

1. रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति / जनजाति स्वरोजगार योजना – अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के रूप में उद्योग / व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से सहायता उपलब्ध कराना
2. दीनदयाल रोजगार योजना – उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय के क्षेत्र में केवल नवीन इकाईयों / गतिविधियों के माध्यम से स्वरोजगार स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु बैंकों के माध्यम से लक्ष्य निश्चित कर ऋण उपलब्ध कराना एवं मार्जिन मनी की सहायता अनुदान के रूप में देना

4. कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)

रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/जनजाति स्वरोजगार योजना :-इस योजना की प्रगति निम्नानुसार हैं।

र

राशि :- लाखों में(रूपये)

क	रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति /जनजाति स्वरोजगार योजना	लक्ष्य		स्वीकृत		वितरित	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
	2005-2006						
	अनुसूचित जाति	10	1.43	23	32.00	11	12.80
	अनुसूचित जनजाति	6	0.89	7	15.74	6	15.74
	2006-2007						
	अनुसूचित जाति	30	6.00	37	45.87	17	39.20
	अनुसूचित जनजाति	12	2.00	5	8.55	4	7.51

5. लाभार्थी की पात्रता

1. रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/जनजाति स्वरोजगार योजना – अजा/अजजा वर्ग का व्यक्ति मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो । एवं जाति प्रमाण पत्र राजस्व अनुभाग स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो । उम्र 18 से 50 वर्ष हो । किसी शासकीय / मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम से कम आठवी कक्षा उत्तीर्ण हो ।
2. दीनदयाल रोजगार योजना – व्यक्ति मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो । एवं । उम्र 18 से 40 वर्ष के मध्य हो । किसी शासकीय / मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम से कम दसवी कक्षा अथवा आई.टी.आई. उत्तीर्ण हो । परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपये 1.50 लाख से अधिक नहीं हो ।

6. पूर्वापेक्षाएं

निरंक

7. अनुदान / सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

1. रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/जनजाति स्वरोजगार योजना – हितग्राही से निर्धारित प्रारूप में प्राप्त आवेदन कार्यालय में निर्धारित समिति के अनुमोदन पश्चात वित्तीय संस्था को अग्रेषित किया जाता है। तत्पश्चात बैंक द्वारा आवेदन पर यदि ऋण स्वीकृत किया जाता है तो बैंक द्वारा नियमानुसार स्वीकृत ऋण पर मार्जिन मनी इस कार्यालय से क्लेम किया जाता है एवं तत्पश्चात बैंक को मार्जिन मनी राशि का अनुदान वितरित किया जाता है।
2. दीनदयाल रोजगार योजना – हितग्राही से निर्धारित प्रारूप में प्राप्त आवेदन कार्यालय में निर्धारित समिति के अनुमोदन पश्चात वित्तीय संस्था को अग्रेषित किया जाता है। तत्पश्चात बैंक द्वारा आवेदन पर यदि ऋण स्वीकृत किया जाता है तो बैंक द्वारा नियमानुसार स्वीकृत ऋण पर मार्जिन मनी इस कार्यालय से क्लेम किया जाता है एवं तत्पश्चात बैंक को मार्जिन मनी राशि का अनुदान वितरित किया जाता है।

8. पात्रता निश्चित करने के लिये मानदण्ड

क्रमांक 05 अनुसार

9. दिये जाने वाले अनुदान /सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो)

रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/जनजाति स्वरोजगार योजना – बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की मार्जिन मनी राशि अधिकतम 20 से 33 प्रतिशत शासन नियमानुसार।

10. अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया

बिन्दु क्रमांक 07 अनुसार

11. आवेदन करने के लिये कहाँ /किससे सम्पर्क करें

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मंदसौर

12. आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)

आवेदन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है ।

13. अन्य शुल्क (जहां उचित हो)

कोई शुल्क नहीं ।

14. आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदन कर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे)

आवेदन कार्यालयीन समय में निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है ।

15. संलग्नकों की सूची

आवेदनों के पृष्ठ भाग पर दर्शाया गया है ।

16. संलग्नकों का प्रारूप

निरंक

17. प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, नीमच

18. उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इत्यादि)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मंदसौर

19. लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर)

रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना (अजजा वर्ग) हेतु –

इस योजनान्तर्गत बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को बैंक की मांग अनुसार निम्नानुसार मार्जिन मनी अनुदान वर्ष 2004–05 प्रदान किया गया :-

क्र.	लाभार्थी का नाम	वल्दियत	अनुदान कीराशि	पात्रता का आधार	निवास का पता
1	श्री गोपाल जाटव	मोहनलाल	98012	उम्र 18 से 45 वर्ष, कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण एवं अ. जा. /अजजा का स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्राप्त	पिपलिया रावजी
2	श्री पप्पूकुमार	मोहनलाल	2500		सगरग्राम
3	श्री प्रहलादसिंह	कंवरलाललाल	2000		चल्दू
4	श्री कमलेश	मदनलाल	2500		जीरन
5	श्रीमती सुगनबाई	प्रकाशचन्द्र	12500		सरवानिया
6	श्री सुरेशचन्द्र	राधेष्थाम	2500		महाराज
7	श्री कारूलाल	नन्दलाल	8500		आमली भाट
8	श्री अषोककुमार	हुकुमचन्द यादव	85085		गणेशपुरा
9	श्री मनोज	बद्रीलाल सावलिया	2500		यादव मण्डी नीमच
10	श्री विकास राजोरा	अषोक	12500		इंदिरा नगर नीमच
11	सुश्री विनीता	विषाल नरवल	12500		बघाना नीमच
12	श्री योगेश	बाबूलाल	8400		राजीवनगर नीमच
13	श्री प्रवीण आर्य	हुकुमचन्द	121490		ग्वालटोली, नीमच
14	श्री गजेन्द्र राव	दौलत राव	2500		किलेष्वर मंदिर शा. आवास, नीमच
15	श्री गोपाल	तुलसी चन्देल	2500		नीमच
16	श्री सुरेन्द्रसिंह	नरेन्द्रसिंह जयंत	2500		मीणा मोहल्ला नीमचसिटी
17	श्री अनिलकुमार	रमेशचन्द्र	4500	यादव मंडी, नीमच	
18	श्री रजनीकांत	रामलाल रेगर	4500	अम्बेडकर कालोनी, नीमच	
19	श्री परमानन्द चौहान	—	7500	नीमच	
20	श्री अनिलकुमार बावरी	—	8500	देवरी खवासा तह. मनासा बघाना नीमच	

21	श्रीमती रेखा पथरोड	संतोष पथरोड	2500	--	रेल्वे हास्पिटल के पीछे नीमच
22	श्री सुरेशचन्द्र	भवानीराम	1250	--	सरजना
23	श्री श्यामलाल	हीरालाल	2500	--	अल्हेड
24	श्री अम्बालाल	हरिराम भील	2500	--	अल्हेड
25	श्री गोपाल	मांगीलाल	2500	--	अल्हेड
26	श्री मांगीलाल	मोतीलाल रेगर	10000	--	बघाना नीमच
27	श्री कचरूलाल	रतनलाल मेघवाल	1000	--	बिसलवासकलां
28	श्री लालूराम	नानूजी भील	2500	--	जवादिया
29	श्री राकेश	भेरूलाल	12500	--	आदर्ष मोहल्ला नीमच
30	श्री सत्यनारायण	बंषीलाल	4500	--	सावन
31	श्री वरदीचन्द्र	रामचन्द्र	6500	--	सावन
32	श्री खूबचन्द	बंषीलाल नकूम	22000	--	बर्डिया तह. मनासा
33	श्री राकेशकुमार	चम्पालाल	6500	--	सावन
34	श्री कैलाषचन्द्र	सूखलाल सालवी	22000	--	ग्वाल टोली नीमच
35	श्री राकेशकुमार	मांगीलाल	145860	--	चीताखेड़ा
36	श्री मुकेश वीरवाल	—	10000	--	पटेल चाल नीमच
37	श्री विकास	मदनलाल चंदेल	10000	--	पटेल चाल नीमच
38	श्री घीसालाल	चतरू	50000	--	दलपतपुरा
39	श्री संजू	राजेन्द्र	10000	--	अमर कालोनी नीमच
40	श्री नितिन राव	मुकेश राव	10000	--	धनेरिया रोड बघाना
41	श्री रोडनी	जार्ज ए एस जार्ज	12500	--	नीमच
42	श्री हरिदेव	मोडीराम भील	2500	--	नानपुरिया
43	श्रीमती पुष्पा	पति गोपाल भील	2500	--	नीमच

रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना (अजजा वर्ग) हेतु -

इस योजनान्तर्गत बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को बैंक की मांग अनुसार निम्नानुसार मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया गया :-

वर्ष 2005-06

क्र.	लाभार्थी का नाम	वल्दियत	अनुदान कीराशि	पात्रता का आधार	निवास का पता
1	श्री गोपाल	तुलसीराम	2500	उम्र 18 से 45 वर्ष, कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण एवं अ.जा. /अजजा का स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्राप्त	मीणा मोह. नीमचसिटी
2	श्री अनिलकुमार	रमेषचन्द	4500		अम्बेडकर कालोनी नीमच
3	श्री सत्यनारायण	बंषीलाल	4500		सावन
4	श्री राजेशकुमार	चम्पालाल	6500		सावन
5	श्री बद्रीचंद	रामचन्द्र	4500		सावन
6	श्री अषोककुमार	हुकुमचंद यादव	8600		यादव मंडी नीमच

वर्ष 2006-07

क्र.	लाभार्थी का नाम	वल्दियत	अनुदान कीराशि	पात्रता का आधार	निवास का पता
1	श्री प्रदीपकुमार	विजयसिंह	30050	उम्र 18 से 45 वर्ष, कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण एवं अ.जा. /अजजा का स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्राप्त	नई आबादी नीमच
2	श्री बाबूलाल	रामचन्द्र मेघवाल	2000		ग्राम पोस्ट नेवड़
3	श्री मदनलाल	नाथूराम	2500		ग्राम पोस्ट आकली
4	श्री गुणवंत	बद्रीचंद	6500		जवाहर नगर नीमच
5	श्री ओमप्रकाश	रतनलाल	12500		ग्रा.पो. चीताखेड़ा
6	श्री कैलाशचन्द्र	रामकिशन	2500		ग्रा.पो. छाछखेड़ी
7	श्री सुरेशचन्द्र	ताराचन्द्र	12500		ग्रा.पो. जन्नौद
8	श्री गोपाल	भगवानराम	12500		ग्रा.पो. जन्नौद
9	श्री मुकेश	रतनलाल	12500		ग्रा.पो.डीकेन
10	श्री बालकिशन	मांगीलाल	12500		ग्रा.पो.डीकेन
11	श्री सुनीलकुमार	प्रकाश	148335		डागड़ी मनासा
12	श्री पूरालाल	मथुरालाल	22500		अहीर मोह. बघाना
13	श्री राकेश	जगन्नाथ	8638		नीमच
14	श्री मुकेश	केशरीमल	2500		पिपल्या व्यास
15	श्री गणेशराम	गंगाराम	10000		विकासनगर नीमच
16	श्री मुकेशचंद	चुन्नीलाल	200000		सिरखेड़ा
17	श्री दुलीचंद	पृथ्वीराज	100000		जवाहरनगर नीमच
18	श्री सुनीलकुमार	शंकरलाल	6000		बंगला नं. 52 नीमच
19	श्रीमती लक्ष्मी	कन्हैयालाल	9000		
20	श्री बाबूलाल	भंवरलाल	2500		जावद
21	श्री भेरूलाल	राधेश्याम	97500		भादवामाता
22	श्री राजेन्द्रकुमार	केशुराम	21000		पालकी मनासा
23	श्री परसराम	हीरालाल	12500		भादवामाता
24	श्री राजूलाल	भंगवानलाल	10500		राजपुरिया जावद

दीनदयाल रोजगार योजना हेतु – इस योजनान्तर्गत बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को बैंक की मांग अनुसार निम्नानुसार मार्जिन मनी अनुदान वर्ष 2004-05 में प्रदान किया गया :-

क्र.	लाभार्थी का नाम	वल्दियत	अनुदान कीराशि	पात्रता का आधार	निवास का पता
1	श्रीमती शाहीन	पति साजिद	25000	उम्र 18 से 40 वर्ष, कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण, वार्षिक आय 1.50 लाख रूपये से कम, जिले का मूल निवासी	नीमच
2	श्री पंकज	सत्यनारायण	6250		नया बाजार नीमच
3	श्री प्रषांत-गोयल	—	5000		नीमच
4	श्री अवधेष ऐरन	—	3750		नया बाजार नीमच
5	श्री हेमन्तकुमार नरेला	—	7500		नया बाजार नीमच
6	श्री मोहनसिंह राणावत	—	5000		राणावत फ्लोर मिल नीमच
7	श्री राजेन्द्रकुमार	बाबूलाल	2500		स्टेशन रोड नीमच
8	श्रीमती डिम्पल जैन	पति राजकुमार जैन	3000		जवाहर नगर नीमच
9	श्री जगदीष	चन्द्रषेखर	5000		रामपुरा
10	श्री वीरेन्द्रकुमार	समरथमल	5000		धानमंडी, रामपुरा
11	कु. श्वेता बोथरा	—	5000		भोलाराम कम्पा. नीमच
12	श्रीमती कुसुम	पति अजीत जैन	5000		न्यू इन्द्रा नगर नीमच
13	सुश्री दुर्गा	कल्याणमल	2000		नयाबाजार नीमच
14	श्री मोहम्मद इंतियाज	मो. सलीम	5000	किदवई गंज, नीमच	
15	श्री दीपक जैन	बंशीलाल जैन	15000	—“—	जावद
16	श्री पंकज ऐरन	वासुदेव	10000	—“—	जावद
17	श्री सोभागमल	भेरूलाल	5000	—“—	माणक चौक, जावद
18	श्री दिनेष	बंशीलाल शर्मा	5000	—“—	नीमच
19	श्री अषोककुमार पाटीदारी	—	6250	—“—	सरवानिया महाराज
20	कु. टीना	रविन्द्र गेहलोत	4000	—“—	सरदार मोहल्ला नीमच
21	श्री बालमुकुन्द	घनष्याम बैरागी	7500	—“—	पिपलिया
22	श्री पवनकुमार	बनवारीलाल	6250	—“—	बघाना नीमच

23	श्री आषीषकुमार	सत्यनारायण	5000	--	राधाकृष्ण मंदिर के पीछे रतनगढ
24	श्री सुनीलकुमार	रामचन्द्र दविया	5000	--	रतनगढ
25	श्री मनोज	किषनलाल	1500	--	तिलक मार्ग
26	श्री जयकुमार	रूपेन्द्र बागड़ी	3250	--	
27	श्रीमती प्रेरणा	पति प्रवीण जैन	5000	--	नीमच
28	श्री नरेन्द्रपाल	कुंवरपाल	2500	--	विकासनगर नीमच
29	सुश्री तरन्मूम	शमषुद्दीन पंसारी	2500	--	जुलाह मोह. बघाना
30	श्री अरविन्द	दयाल	2500	--	नीमच
31	श्री दिलीप	सोहनलाल छाजेड़	4000	--	हुड़को कालोनी नीमच
32	श्री विनीत कटारिया	भगवती प्रसाद	1500	--	राजस्व कालोनी नीमच
33	श्री महेश	अम्बालाल नागदा	7500	--	सरवानिया महाराज
34	श्री कैलाचन्द्र	लक्ष्मीनारायण	15000	--	तलाउ, कुकड़ेष्वर
35	श्री रामचन्द्र	अमरा धनगर	15000	--	भगोरी तह मनासा
36	श्री कुलदीप	किषोर जोषी	15000	--	कुकड़ेष्वर
37	श्री संदीप	महेशचन्द्र	5000	--	बस स्टेण्ड डीकेन
38	श्रीमती आषा	गोपालचन्द्र अजमेरा	7500	--	भागेश्वर रोड, नीमच
39	श्री दानिष मो.	शेर मो.	5000	--	मनासा
40	श्री अनिल	मांगीलाल	6250	--	मनासा
41	श्रीमती मंजुदेवी	राजकुमार पटनी	19000	--	कनावटी
42	कु. मेघा लखेरा	नन्दकिषोर	7500	--	नीमच
43	श्री सुधीरकुमार	शांतिलाल मेहता	6250	--	अंहिसा पथ नीमच
44	श्री गोपाल शर्मा	भीमराज शर्मा	6250	--	पिपरवा तह जावद
45	श्री राजेश जैन	बाबूलाल जैन	7500	--	मेहनोत नगर, नीमच
46	श्री सुरेन्द्र शर्मा	लक्ष्मीनारायण शर्मा	50000	--	स्टेशन रोड, नीमच
47	सुश्री कोमल शर्मा	मनोज शर्मा	5000	--	स्टेशन रोड नीमच

48	श्री सत्यनारायण	भेरु माली	1500	—''—	हाड़ि पिपलिया
49	सुश्री विनीता	शरद भटनागर	5500	—''—	बघाना नीमच
50	श्री अविनाष	श्यामलाल	7500	—''—	नीमच
51	श्रीमती पूनमसिंह	विजयसिंह बिसेन	5000	—''—	नीमचसिटी
52	श्री परमोदरसिंह	निरंजनसिंह टूटेजा	5000	—''—	नीमच केन्ट
53	सुश्री आरती छाबड़ा	पति विनोद छाबड़ा	3000	—''—	नीमच
54	श्री साजीत हुसैन	चांद मोह. मन्सूरी	13000	—''—	नीमच
55	श्री गोपाल राब	रामलाल राव	7500	—''—	नीमच
56	श्री रतनलाल	पन्नलाल	9000	—''—	बरुखेडा रोड ग्वालटोली नीमच
57	श्री रितेष	जगदीष मित्तल	5000	—''—	नीमच
58	श्री नवीन बाल्दी	बालकृष्ण बाल्दी	7500	—''—	जावद
59	श्री महेशकुमार	मुरलीधर	7500	—''—	जावद
60	श्री राहुल मूणत	राजमल	7500	—''—	जावद
61	सुश्री समता जैन	प्रकाशचन्द	5000	—''—	मेहनोत नगर नीमच
62	श्री जितेन्द्र	हेमचन्द	50000	—''—	नीमच

- 1 दीनदयाल रोजगार योजना हेतु – इस योजनान्तर्गत बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को बैंक की मांग अनुसार निम्नानुसार मार्जिन मनी अनुदान वर्ष 2005–06 में प्रदान किया गया :-

क्र.	लाभार्थी का नाम	वल्दियत	अनुदान कीराशि	पात्रता का आधार	निवास का पता
1	श्री मनीष	बृजमोहन	2100	उम्र 18 से 40 वर्ष, कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण, वार्षिक आय 1.50 लाख रूपये से कम, जिले का मूल निवासी	कमल चौक नीमच
2	सुश्री सोनाली	पिता श्याम मेहता	5000		पुस्तक बाजार नीमच
3	श्रीमती कल्याण	पति राजेन्द्रसिंह यादव	7500		कलेक्टोरेट के सामने नीमच
4	सुश्री प्रियवंत	चन्द्रप्रकाश	20000		सिंगोली
5	श्री सत्यनारायण	भेरूलाल सोनी	2500		कुकड़ेष्वर

अध्याय 14 (मैनुअल-13)

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा अधिकारों के प्राप्तिकर्ता के संबंध में विवरण

निरंक

अध्याय 15 (मैनुअल-14)

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित

/ नियम

कार्य को पूर्ण करने हेतु बनाये गये मापदण्ड :-

कार्य को पूर्ण करने हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा ज्ञाप क्रमांक एफ-20/37/11/बी/99 दिनांक 22.1.2002 के अनुसार कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र हेतु सिटीजन चार्टर :-

क्रं.	कार्य / गतिविधि/ योजना का नाम	प्रभारी / विहित अधिकारी	निपटारे की समय सीमा
1	मेमोरेन्डम (पार्ट-1)	महाप्रबंधक / जि.व्या.उ. केन्द्र	तत्काल
2	मेमोरेन्डम (पार्ट-2)	उक्तानुसार	7 दिवस
3	भूमि / शेड आवंटन प्रक्रियाभूमि / शेड उपलब्ध होने की स्थिति में :-	उक्तानुसार	1 दिवस
अ.	आशय पत्र जारी करना आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त	उक्तानुसार	तत्काल
ब	आवंटन आदेश जारी करना आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त	उक्तानुसार	तत्काल
4	पट्टा अभिलेखों का निष्पादन	उक्तानुसार	7 दिवस
5	विध्युत कनेक्शन हेतु अनुशंसा	उक्तानुसार	तत्काल
6	बैंक मियादी व कार्यशील पूंजी हेतु अनुशंसा	उक्तानुसार	3 दिवस

7	स्वीकृति पत्र :-		
अ	राज्य लागत पूँजी अनुदान	उक्तानुसार	30 दिवस
ब	प्रवेशकर/विक्रयकर छूट का प्रमाणपत्र	उक्तानुसार	30 दिवस
8			
अ	प्रदूषण संबंधी अनापत्ती प्रमाण पत्र	उक्तानुसार	तत्काल
ब	प्रदूषण निवारण मण्डल की अनुशंसा	उक्तानुसार	3 दिवस
9	आई.एस.ओ.9000	उक्तानुसार	30दिवस
10	परियोजना प्रतिवेदन लागत वापसी	उक्तानुसार	30दिवस
11	ब्याज अनुदान स्वीकृति	उक्तानुसार	7 दिवस
12	प्रधानमंत्री रोजगार एवं अन्य रोजगार मूलक योजनायें :-		
अ	आवेदन का परीक्षण	उक्तानुसार	7 दिवस
ब	बैंक स्वीकृति हेतु अनुशंसा	उक्तानुसार	30दिवस

निर्धारितअवधि में कार्यवाही न होने पर संचालक (लघु उद्योग) उद्योग संचलनालय भोपाल को शिकायत कर सकते है।

अध्याय 16 (मैनुअल-15)
इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध
सूचनाएं

इलेक्ट्रानिक रूप सूचनाएं विभागीय वेबसाईट
www.mpindustry@mp.org पर उपलब्ध है ।

अध्याय 17 (मैनुअल-16)
सूचना प्राप्त करने के लिए
नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं
का विवरण

कार्यालय के सूचना पट पर जानकारी उपलब्ध है ।

अध्याय 18 (मैनुअल-17)

अन्य उपयोगी जानकारियाँ

सूचना के अधिकार

1. प्रधानमंत्री रोजगार योजना :- उद्योग संचालनालय द्वारा जारी निर्देश क्रमांक-41/ग्राउ/10/1/5299-53-46 भोपाल दिनांक 15.9.1997 के अनुसार विभाग के कार्य कलापों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार योजना से संबंधित निम्न अभिलेखों की सत्यापित प्रतिलिपि एवं अवलोकन मांग की जाने पर आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराने पर निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध करायी जाती है :-

1. प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत संधारित आवेदन प्राप्ति संबंधी पंजीक प्रतिलिपि ।
2. टास्क फोर्स समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रकरणों की सूची की प्रतिलिपि ।
3. टास्क फोर्स समिति द्वारा अनुमोदित/ निरस्त/त्रुटिपूर्ण/ अन्य लिये गये निर्णयों की सूची की प्रतिलिपि ।
4. बैंक शाखाओं को भेजे गये प्रकरणों की सूची की प्रतिलिपि ।

निर्धारित शुल्क :-

1. ए-4 साईज पेपर की प्रति- एक और रूपये 2.00
2. ए-3 साईज पेपर की प्रति - एक और रूपये 4.00

अभिलेख अवलोकन हेतु रूपये 10.00 प्रत्येक 15 मिनट तत्पश्चात प्रति मिनट तक 5 रूपये ।

2. भूमि शेड आवंटन विषयक :- उद्योग संचालनालय द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 111/अधोवि/14/97/2397-3053 भोपाल दिनांक 15.5.97 के अनुसार भूमि, शेड, आवंटन से संबंधित निम्न अभिलेखों सत्यापित प्रतिलिपि एवं अवलोकन मांग की जाने पर आवेदक द्वारा निर्धारित

शुल्क जमा कराने पर निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध करायी जाती है :-

1. भूमि एवं शेड आवंटन हेतु संधारित आवेदन प्राप्ति संबंधी पंजी की प्रतिलिपि ।
2. उद्योग आयुक्त के निर्णय के प्राधिकार वाले अग्रेषित किए गए प्रकरणों की जानकारी ।
3. भूमि अथवा शेड आवंटन आवेदनों पर सुदृढ एकल खिडकी प्रणाली द्वारा निर्धारित समय सीमा में निराकरण के निर्णय की जानकारी ।
4. भूमि एवं शेड हस्तांतरण के प्रकरणों के संबंध में जानकारी ।

निर्धारित शुल्क :-

1. ए-4 साईज पेपर की प्रति- एक और रूपये 2.00
2. ए-3 साईज पेपर की प्रति - एक और रूपये 4.00

अभिलेख अवलोकन हेतु रूपये 10.00 प्रत्येक 15 मिनट तत्पश्चात प्रति मिनट तक 5 रूपये ।